



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 442 राँची, गुरुवार, 13 आषाढ़, 1946 (श०)
4 जुलाई, 2024 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

3 जुलाई, 2024

ज्ञापांक-07/म0स0/ट्रांस.बोर्ड-379/2023--माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका W.P.(C) no.-400/2012, National Legal Services Vs Union of India & Oth. में दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में ट्रांसजेण्डर समुदाय की समस्याओं के अध्ययन, उसके निराकरण हेतु विशिष्ट नीति निर्धारण, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और देख-रेख के निमित्त झारखण्ड ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1.	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, झारखण्ड
2.	सदस्य	पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड
3.	सदस्य सचिव	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड
4.	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड
5.	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड
6.	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड
7.	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड
8.	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
9.	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड
10.	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड
11.	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड
12.	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड
13.	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड
14.	सदस्य	सचिव, झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग
15.	आमंत्रित सदस्य	अध्यक्ष के अनुमोदन से ट्रांसजेंडर समुदाय के कोई दो सामाजिक कार्यकर्ता (गैर सरकारी सदस्य)

(ख) बोर्ड के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा तथा आवश्यकतानुसार कार्यकाल की अवधि विस्तारित की जा सकेगी ।

(ग) ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी ।

(घ) बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले गैर सरकारी सदस्यों के पारिश्रमिक, यात्रा एवं दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाएगा, जो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा स्वीकार्य और अंतिम रूप से निर्णीत होगा ।

2. ट्रांसजेंडर समाज कल्याण बोर्ड के उद्देश्य एवं कार्य

- i. झारखण्ड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का कार्य ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों एवं उनके हितों की रक्षा करते हुए उन्हें सरकार द्वारा बनायी गयी योजनाओं तथा कल्याण संबंधी उपायों हेतु नीति निर्माण की अनुशंसा करना ।
- ii. ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का कार्य संपादन हेतु महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड नोडल विभाग होगा तथा बोर्ड से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन इसी विभाग के माध्यम से होगा ।
- iii. झारखण्ड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का कार्य, विभिन्न विभागों को ट्रांसजेंडरों से संबंधित योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में परामर्श प्रदान करना होगा, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को 'सामाजिक सम्मान एवं सुरक्षा के साथ-साथ समुचित वित्तीय सहायता, आवास व्यवस्था, चिकित्सा सेवाएँ, शिक्षा, रोजगार के कार्य उपलब्ध कराये जा सकें ।
- iv. झारखण्ड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन कर एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये उनसे संबंधित योजनाओं में संशोधन हेतु अपने सुझाव प्रेषित किये जायेंगे। सर्वे कार्य हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता ली जा सकेगी ।
- v. झारखण्ड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के द्वारा राज्य में सर्वे इत्यादि के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित विभिन्न आंकड़े एकत्रित कर इनकी समस्याओं की पहचान की जायेगी।
- vi. झारखण्ड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। अपितु राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन भी दिया जायेगा ।
- vii. नोडल विभाग के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों की समस्याओं एवं उनके निराकरण हेतु वांछित समाधान के संबंध में समय-समय पर अपना प्रतिवेदन तैयार कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
- viii. झारखण्ड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के विधिक अधिकारों की रक्षार्थ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर उचित विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी ।

- ix. बोर्ड द्वारा ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के साथ घर, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थल पर हो रहे हिंसा एवं शोषण को रोकने हेतु संबंधित विभाग के साथ एडवोकेसी कर प्रताड़ित को मदद करने का कार्य करेगा ।
- x. झारखण्ड ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा समय-समय पर उक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक कदम उठाये जा सकेंगे जिन्हें ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों के कल्याणार्थ आवश्यक समझा जायेगा ।
- xi. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020, दिनांक 25.09.2020 के आलोक में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के परिचय पत्र/पहचान प्रमाण पत्र बनाये जाने के संबंध में आवश्यक सुझाव/निर्देश झारखण्ड ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जायेगा ।
- xii. ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा राज्य स्तरीय ट्रांसजेण्डर सपोर्ट यूनिट (TSU) का गठन किया जायेगा, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करेगी:
1. यह यूनिट ट्रांसजेण्डर से संबन्धित समस्त मुद्दों एवं समस्याओं को देखेगी ।
 2. वार्षिक योजना के साथ-साथ नीतियों के क्रियान्वयन की समय सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगी ।
 3. ट्रांसजेण्डर सपोर्ट यूनिट (TSU) द्वारा नीतियों के क्रियान्वयन के संबंध में योजनाओं का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए ट्रांसजेण्डर वेलफेयर बोर्ड को प्रस्तुत करेगी ।
 4. सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों से समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित कर ट्रांसजेण्डर सपोर्ट यूनिट (TSU) द्वारा नीतियों के क्रियान्वयन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा ।
3. ट्रांसजेण्डर के मुद्दों एवं समस्याओं के स्थानीय निस्तारण के संबंध में प्रत्येक जिला में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो परिभाषित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा । समिति प्रत्येक माह एक बार बैठक करेगी। समिति का प्रारूप निम्नवत् होगा:-
- | | |
|---|-------------|
| (क) उपायुक्त | - अध्यक्ष |
| (ख) वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | - सदस्य |
| (ग) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | - सदस्य |
| (घ) जिला पंचायती राज पदाधिकारी | - सदस्य |
| (ङ.) जिला शिक्षा पदाधिकारी | - सदस्य |
| (च) जिला कल्याण पदाधिकारी | - सदस्य |
| (छ) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी | - सदस्य |
| (ज) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (सभी प्रखण्ड) | - सदस्य |
| (झ) मनोवैज्ञानिक (उपायुक्त द्वारा नामित) | - सदस्य |
| (ञ) उपायुक्त द्वारा नामित ट्रांसजेण्डर समुदाय के दो प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (ट) जिला समाज कल्याण पदाधिकारी | -सदस्य सचिव |

4. जिला स्तरीय समिति का कार्य:

- I. जिला में ट्रांसजेण्डर के कल्याणार्थ सम्मिलित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं अन्य कार्यक्रमों की निगरानी करना ।
 - II. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020, दिनांक 25.09.2020 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति के परिचय पत्र/पहचान प्रमाण पत्र जारी करना ।
 - III. सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को गैर-भेदभाव तरीकों से उनके अधिकारों को सुनिश्चित कराना ताकि वे सरल एवं सुगम जीवन यापन कर सकें ।
 - IV. ट्रांसजेण्डरों से संबंधित किसी भी विशिष्ट प्रकार के मामले में जिला स्तरीय समिति द्वारा राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड को सूचित किया जाना ।
 - V. ट्रांसजेण्डरों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के बारे में आम जनता और सम्बन्धित अधिकारियों को जागरूक करना ।
 - VI. नीतिगत ढांचे के अधीन योजनाओं के निर्माण का औपचारिक प्रस्ताव ट्रांसजेंडर सर्पोट यूनिट (TSU) को प्रेषित करना ।
5. उक्त आदेश पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।
